CNR No.RJCH010003502023

**न्यायाधीशः-मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण**

**(जिला न्यायालय) चूरू (राजस्थान)**

**<u>पीठासीन अधिकारीः-सोनिका पुरोहित, RJS (DJ Cadre)</u>**

**क्लेम याचिका संख्या - 16/2023**

1.श्रीमती कमलादेवी पत्नी सांवरमल उम्र 60 वर्ष निवासी वार्ड नं.1 नगर नगराना, हनुमानगढ, हाल निवासी वार्ड नं.24 गांधी नगर, चूरू (राज)

2.मिहिर पुत्र महेन्द्र कुमार उम्र 18 वर्ष निवासी वार्ड नं.24 गांधी नगर, चूरू

3.आदर्श पुत्र महेन्द्र कुमार उम्र 17 वर्ष अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षक अपनी दादी कमला देवी निवासी वार्ड नं.24 गांधी नगर, चूरू (राज)

4.निहारिका पुत्री महेन्द्र कुमार उम्र 11 वर्ष अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षक अपनी दादी कमला देवी निवासी वार्ड नं.24 गांधी नगर, चूरू (राज)

- प्रार्थीगण

वि रू द्ध

1. प्रबन्धक, एसबीआई जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड प्रथम तल सिल्वर स्कवायर रानी बाजार शॉप नं.15,16,17 इन्कम टेक्स ऑफिस के सामने, बीकानेर (राज)

**-बीमा कम्पनी वाहन स्कूटी सं.आरजे 10 एसआर 2198**

2. उषा पुत्री सीताराम, राधास्वामी के पास वार्ड नं.35 गांधी कॉलोनी, चूरू

**- पंजीकृत स्वामी वाहन स्कूटी सं.आरजे 10 एसआर 2198**

3. महेन्द्र कुमार पुत्र सांवरमल निवासी गांधी नगर, चूरू

**- चालक वाहन स्कूटी सं.आरजे 10 एसआर 2198**

-अप्रार्थीगण

**<u>याचिका अन्तर्गत धारा 164 मोटर वाहन अधिनियम, 1988</u>**

**<u>उपस्थिति</u>:-**

1.श्री विकास तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2.श्री गजेन्द्र सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1

3.श्री गजेन्द्र खत्री अधिवक्ता अप्रार्थी सं.2 व 3

**-: <u>नि र्ण य</u> :-** **<u>दिनांक-25.03.2026</u>**

1. प्रार्थीगण द्वारा यह क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 164 मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत दुर्घटना में आयी चोटों के कारण कारित मृत्यु की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिनांक 21.02.2023 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.08.2022 को मृतका मनीषा अपने पति महेन्द्र कुमार के साथ स्कूटी संख्या आरजे 10 एसआर 2198 पर सवार होकर श्योपुराधाम से धोक लगाकर वापस आते समय वक्त करीब 11-11.30 एएम पर देपालसर रोड झुग्गी झौंपड़ियों के पास पहुंचे तो स्कूटी के सामने अचानक कुत्ता आ जाने पर स्कूटी के भी अचानक ब्रेक लगाये जिससे स्कूटी पर पीछे बैठी मनीषा सड़क पर गिर

गई जिससे उसके सर व शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई तो उसे राजकीय भरतिया अस्पताल लाया गया जहां पर उसके चोटें गम्भीर होने से हायर सेन्टर जयपुर रेफर किया तब उसे एसएमएस जयपुर में भर्ती करवाया जहां पर दिनांक 31.08.2022 को उसकी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना की मर्ग रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 174 दंप्रसं में पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में दर्ज करवाई गई जिसमें अनुसन्धान के बाद दुर्घटना उक्त स्कूटी से होना मानकर रिपोर्ट उपखण्ड कार्यालय, चूरू में पेश की गई। दुर्घटना के समय अप्रार्थी संख्या एक उक्त वाहन स्कूटी की बीमा कम्पनी, अप्रार्थी संख्या दो उसकी पंजीकृत स्वामी एवं अप्रार्थी संख्या तीन उसका चालक रहा है। प्रार्थीगण ने धारा 164 मोटर वाहन अधिनियम के तहत यह याचिका पेश करते हुए अप्रार्थीगण से पांच लाख क्षतिपूर्ती राशि की मांग करते हुए यह राशि अप्रार्थीगण से संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. अप्रार्थी संख्या एक बीमा कम्पनी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रश्नगत वाहन स्कूटी कथित दुर्घटना में लिप्त नहीं थी। प्रार्थगण ने क्लेम लेने के आशय से अप्रार्थी संख्या दो जो उनका पड़ौसी है, से कोल्युजन कर यह याचिका पेश की है। तथ्यों एवं रेकार्ड के अनुसार स्कूटी पर सवार बताये गये व्यक्ति उक्त स्कूटी के मालिक के शू में स्टेपिंग कर रहे थे जो तृतीय पक्ष की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी किसी भी अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है।

4. अप्रार्थी संख्या दो व तीन ने अलग-अलग जवाब पेश करते हुए कथित दुर्घटना में स्वयं की कोई लापरवाही व उपेक्षा नहीं होना बताया है एवं कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त वाहन को अप्रार्थी संख्या एक से बीमित करवा रखा था इसलिए अप्रार्थ संख्या एक ही अदायगी के लिए उत्तरदायी है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये-

   1. **आया प्रश्नगत वाहन संख्या आरजे-10-एसआर-2198 के चालक विपक्षी संख्या 3 महेन्द्र के द्वारा दिनांक 30.08.2022 को 11.00-11.30 एएम बजे झुग्गी झौपड़ियों के पास देपालसर-चूरू रोड़ पर उक्त वाहन को तेजगति उपेक्षा/उतावलेपन से चलाते हुए अचानक जोर से ब्रेक लगाए जिस कारण उक्त वाहन पर पीछे बैठी मृतका मनीषा नीचे गिर गई और उसके गम्भीर चोटें कारित हुई, जिसके परिणामस्वरूप मृतका की मृत्यु कारित हुई ?**
   2. **आया विपक्षी संख्या 3 वाहन चालक, विपक्षी संख्या 2 के नियोजन, निर्देशन, हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था ?**
   3. **आया याचीगण अपनी याचिका में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्याय सम्मत राशि पा सकते हैं, यदि हाँ तो कितनी राशि, किस विपक्षी से एवं किस प्रकार से पा सकते है ?**

4. **आया विपक्षी संख्या 1 बीमा कम्पनी द्वारा अपने प्रारम्भिक कथनों एवं अतिरिक्तोतर कथन के मद्देनजर अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है, नहीं तो इसका प्रभाव ?**
5. **अनुतोष ?**

6. प्रार्थीगण की ओर से एडब्ल्यु.1 मिहिर ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथपत्र में याचिका के तथ्यों को दोहराया है एवं 13 प्रलेख प्रदर्शित करवाये हैं। जिरह में इस गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया है कि वह दुर्घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं हो। वह उस दिन श्योपुरा गांव अर्टिगा गाड़ी संख्या डीएल 11 सीए 5338 से गया था। इस दुर्घटना में केवल उसकी माताजी के ही चोट लगी थी। यह दुर्घटना किसी की गलती से नहीं हुई वरन स्कूटी के आगे कुत्ता आ गया था जिससे दुर्घटना हुई थी। स्कूटी उषा उषा पत्नी सीताराम की थी। घटना के समय स्कूटी चालक महेन्द्र कुमार थे जो उसके पिता थे। अप्रार्थी पक्ष की ओर से बावजूद दिये जाने समुचित अवसर के कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

7. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह क्लेम याचिका धारा 164 एमवी एक्ट के तहत प्रस्तुत की गई है जिसमें उपेक्षा एवं लापरवाही के बिन्दु पर विचार नहीं कर केवल वाहन की लिप्तता ही देखी जानी है। प्रश्नगत वाहन स्कूटी संख्या आरजे 10 एसआर 2198 मृतका का पति अप्रार्थी सं.3 वाहन मालिक उषा अप्रार्थी सं.2 से मांगकर लाया एवं इस वाहन पर मृतका अपने पति के साथ दिनांक 30.08.2022 को श्योपुरा से वापस आते समय वक्त करीब 11-11.30 बजे देपालसर रोड झग्गी झौंपड़ियों के पास पहुंचे तो स्कूटी के सामने अचानक से एक कुत्ता आने के कारण स्कूटी के अचानक ब्रेक लगाने से मृतका स्कूटी से सड़क पर गिर गई जिससे उसके चोटें आई तो उसे तुरन्त भरतिया अस्पताल, चूरू लाये एवं वहां से रेफर करने पर एसएमएस जयपुर में भर्ती कराया जहां ईलाज के दौरान दिनांक 31.08.2022 को उसकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना के समय मृतका उक्त स्कूटी के पीछे बैठी थी एवं उसका पति स्कूटी चला रहा था। मृतका के ईलाज एवं मृत्यु के बाद की रस्मों के कारण दिनांक 19.09.2022 को पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में मर्ग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिसमें उक्त वाहन स्कूटी को इस दुर्घटना में संलिप्त माना गया है। यह बहस भी रही है कि दुर्घटना के समय मृतका का पुत्र मिहिर अपने मामा विकास के साथ गाड़ी में मृतका व उसके पति के पीछे-पीछे चल रहे थे। उक्त मिहिर ने बतौर एडब्ल्यु.1 परीक्षित होते हुए अपनी साक्ष्य से याचिका के तथ्यों को पुष्ट किया है जिसका कोई खण्डन भी पत्रावली पर नहीं है। प्रश्नगत वाहन स्कूटी को दुर्घटना में संलिप्त होना बताते हुए याचिका स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

**1.रामखिलाड़ी व अन्य/यूइंईकंलि व अन्य सि.अ.नं. 9393/2019 (एससी)**

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कम्पनी की ओर से लिखित बहस

पेश की गई एवं मौखिक बहस के दौरान निवेदन किया कि दुर्घटना की मर्ग रिपोर्ट 19 दिन के विलम्ब से दर्ज करवाई गई है जिसका कोई समुचित कारण भी नहीं बताया गया है क्योंकि अप्रार्थी सं.2 से दुर्भिसन्धी कर इस वाहन को क्लेम लेने के लिए मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से दुर्घटनास्थल के किसी स्वतन्त्र गवाह को परीक्षित नहीं करवाया गया है तथा एडब्ल्यु.1 मिहिर की साक्ष्य से प्रश्नगत वाहन की संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती। प्रार्थीगण ने जिस तरीके से दुर्घटना होनी बताई है, वह विश्वसनीय नहीं है क्योंकि केवल कुत्ता सामने आने से दुर्घटना नहीं हो सकती क्योंकि स्कूटी चालक के कोई चोटें नहीं आई। यह बहस भी रही है कि यदि उक्त स्कूटी वाहन को दुर्घटना में संलिप्त होना माना भी जाता है तो मृतका या उसका पति उक्त वाहन के स्वामी नहीं थे। मृतका पति यह वाहन मांगकर लाया था एवं मृतका व उसका पति वाहन के वास्तविक मालिक के शू में स्टेपिंग कर रहे थे जिनकी रिस्क इस वाहन की बीमा पॉलिसी में कवर नहीं होती है इसलिए बीमा कम्पनी किसी भी अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह बहस भी रही है कि कथित दुर्घटना के समय मृतका ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था एवं उसके पति चालक के पास वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति नहीं थी। उक्त तथ्यों के आधार पर याचिका को खारिज करने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये-

1. **मालाराम/रूपाराम व अन्य 2004 आरएआर 543 (राज)**
2. **रामचन्द्र व अन्य/रामचन्द्र 2020(1) सीसीआर 314 (राज)**
3. **श्यामसुन्दर/दिनेशसिंह व अन्य 2011(2) सीसीआर 739 (राज)**
4. **श्रीमती मीना जैन/यू.इं.इं.कं.लि. 2017(2) सीसीआर 1001 (राज)**
5. **निग्गमा व अन्य/यू.इं.इं.कं.लि. 2009 एसीजे 2020**
6. **ओ.इं.कं.लि./राजनीदेवी व अन्य 2008 एसीजे 1441**

9. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं.2 व 3 ने दौराने बहस अपने-अपने जवाब के तथ्यों को ही दोहराया है।

10. बहस पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्ग-दर्शन प्राप्त किया जिनमें प्रतिपादित अभिमत से हम सहमत हैं। विवाद्यक अनुसार अधिकरण का विनिश्चय निम्नप्रकार से है-

**<u>विवाद्यक संख्या एक</u>**

11. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। हस्तगत याचिका प्रार्थीगण की ओर से धारा 164 मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। धारा 164 मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रस्तुत क्लेम याचिका में याचिका के प्रार्थीगण से इस तथ्य को सिद्ध करने की उपेक्षा नहीं की जायेगी कि दुर्घटना में मृत्यु संलिप्त वाहन, उसके चालक या किसी अन्य व्यक्ति की उपेक्षापूर्वक व्यतिक्रम के कारण घटित हुई, वरन केवल <u>मात्र बताये गये वाहन की संलिप्तता है अथवा नहीं, इस पर ही विचार किया जाना है।</u> इस प्रकरण में दुर्घटना प्रार्थीगण ने वाहन स्कूटी

संख्या आरजे 10 एसआर 2198 पर दिनांक 30.08.2022 को मृतका का अपने पति के साथ पीछे बैठकर श्योपुरा से आते समय रास्ते में स्कूटी के सामने कुत्ता आने पर अचानक ब्रेक लगाने के कारण घटित होना बताया है। दुर्घटना की मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श-1 की जांच में यह पाया गया है कि स्कूटी संख्या आरजे 10 एसआर 2193 के आगे अचानक कुत्ता आने क कारण अचानक ब्रेक लगाने से मृतका स्कूटी से नीचे गिर गई एवं उसके कारित चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस मर्ग रिपोर्ट की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदर्श-2 है। उक्त मर्ग रिपोर्ट के सन्दर्भ में अन्य दस्तावेज अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण प्रदर्श-3, रोजनामचा नकल प्रदर्श-4, 10 व 12 एवं नक्शा मौका प्रदर्श-11 प्रदर्शित करवाये गये हैं। चूंकि अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है इसलिए बीमा कम्पनी का मौखिक कथन कि प्रश्नगत वाहन स्कूटी इस दुर्घटना में लिप्त नहीं थी, माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रार्थी पक्ष ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित किया है कि कथित स्कूटी संख्या आरजे 10 एसआर 2193 की इस दुर्घटना में संलिप्तता रही है जिसके प्रयोग के दौरान याचिका में उल्लेखित दुर्घटना घटित हुई एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-9 से मृतका की मृत्यु सड़क दुर्घटना में आई चोटों के कारण होना स्पष्ट होता है।

12. यह सही है कि दिनांक 30.08.2022 को हुई दुर्घटना की मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श-1 पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में दिनांक 19.09.2022 को करीब 19 दिन की देरी से दर्ज करवाई गई है। यह स्वभाविक है कि सड़क दुर्घटना के मामलों में सर्व प्रथम प्राथमिकता घायल व्यक्ति को उत्तम ईलाज उपलब्ध करवाने की होती है एवं उसके पश्चात ही कोई विधिक कार्यवाही की जाती है। हस्तगत प्रकरण में भी मृतका ईलाज हेतु जयपुर के एसएमएस में भर्ती रही और दिनांक 31.08.2022 को उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार मृतका के परिजन पहले तो उसके ईलाज में व्यस्त रहे एवं बाद में उसकी मृत्यु उपरान्त की जाने वाली रस्म-रिवाजों में व्यस्त रहे। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुई उक्त देरी स्वभाविक है जो प्रार्थी पक्ष के मामले को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करती है। विद्वान अधिवक्ता बीमा कम्पनी ने वरवक्त दुर्घटना स्कूटी के चालक के पास वाहन चालन अनुज्ञप्ति नहीं होने की बहस की है लेकिन पत्रावली पर चालक महेन्द्र अप्रार्थी सं.3 की वाहन चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श-13 के रूप में प्रदर्शित करवाई गई है। मृतका का हेलमेट पहने हुए नहीं होने का तर्क भी दिया गया है लेकिन इस प्रकरण में उपेक्षा एवं लापरवाही का बिन्दु तय ही नहीं करना है।

13. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के सम्बन्ध में किये गये विवेचन एवं विश्लेषण से प्रश्नगत वाहन स्कूटी संख्या आरजे 10 एसआर 2198 का याचिका में उल्लेखित दुर्घटना में संलिप्त होना एवं उसका चालक अप्रार्थी सं.3 होना प्रमाणित होता है। अतः विवाद्यक संख्या

एक का विनिश्चय प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाता है।

<u>**विवाद्यक संख्या -2**</u>

14. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर साक्ष्य सामग्री से प्रश्नगत वाहन स्कूटी संख्या आरजे 10 एसआर 2198 की पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी सं.2 होना एवं विवाद्यक संख्या एक में किये गये विवेचन के अनुसार वरवक्त दुर्घटना इस वाहन पर चालक अप्रार्थी सं.3 होना स्पष्ट हुआ है जिसकी वाहन चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श-13 है। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत वाहन का चालक अप्रार्थी संख्या तीन, अप्रार्थी संख्या दो वाहन स्वामी के नियोजन व निर्देशन में उसके हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था। अतः विवाद्यक संख्या दो का विनिश्चय प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाता है।

<u>**विवाद्यक संख्या -4**</u>

15. इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थी संख्या एक बीमा कम्पनी पर था। विद्वान अधिवक्ता बीमा कम्पनी की मुख्य बहस रही है कि मृतका या उसका पति उक्त वाहन के स्वामी नहीं थे। मृतका पति यह वाहन मांगकर लाया था एवं मृतका व उसका पति वाहन के वास्तविक मालिक के शू में स्टेपिंग कर रहे थे जिनकी रिस्क इस वाहन की बीमा पॉलिसी में कवर नहीं होती है इसलिए बीमा कम्पनी किसी भी अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह सही है कि प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी संख्या तीन, अप्रार्थी संख्या दो से मांगकर लाया था लेकिन वह बतौर मालिक प्रश्नगत वाहन को चला रहा था और इस वाहन पर पीछे बैठी हुई मृतका एक तृतीय पक्षकार थी। प्रश्नगत वाहन की बीमा पॉलिसी के अनुसार तृतीय पक्ष की जौखिम हेतु वाहन स्वामी द्वारा प्रीमियम अदा किया गया है जिस स्थिति में बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ती अदायगी के अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती। अतः विवाद्यक संख्या चार का विनिश्चय अप्रार्थी संख्या एक बीमा कम्पनी के विरूद्ध किया जाता है।

<u>**विवाद्यक संख्या -3**</u>

16. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। यह क्षतिपूर्ती याचिका धारा 164 मोटर यान अधिनियम के तहत पेश की गई है। धारा 164 मोटर यान अधिनियम का उल्लेख किया जाना उचित है, जो निम्नप्रकार है-

**164-Payment of compensation in case of death or grevious hurt, etc.--(1)** Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force or instrument having the force of law, the owner of the motor vehicle or the authorized insurer shall be liable to pay in the case of death or grievous hurt due to any accident arising out of the **use of motor vehicle**, a compensation, of a sum of <u>five lakh rupees</u> in case of death or of two and a half lakh rupees in case of grievous hurt to the legal

heirs or the victim, as the case may be.

17. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यदि वाहन के उपयोग से दुर्घटना होना साबित हो चुका है तो एकमुश्त रूप से 5,00,000 (पांच लाख) रूपये मृत्यु के मामले में दिया जाना विधि में उपबन्धित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में मृतका की आय व आयु का बिन्दु महत्वहीन हो जाता है और चूंकि इस प्रकरण में मृत्यु साबित है इसलिए statutory compensation amount जो धारा 164 मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत है, वह ही दिया जाना निर्णित किया जाता है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण मृतका की मृत्यु हेतु धारा 164 मोटर यान अधिनियम के तहत एकमुश्त राशि 5,00,000 (पांच लाख) रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है।

**<u>अनुतोष</u>**

18. विवाद्यक संख्या एक लगायत चार के सम्बन्ध में किये गये उपरोक्त विवेचनानुसार यह क्षतिपूर्ती याचिका एकमुश्त राशि 5,00,000 (पांच लाख) रूपये के लिए प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>- आ दे श -</u>**

19. अतः प्रार्थीगण कमलादेवी वगैरह की क्लेम याचिका क्षतिपूर्ती राशि 5,00,000 (पांच लाख) रूपये मय याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 21.02.2023 से ता-वसूली 06 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से स्वीकार की जाती है। उक्त राशि मय ब्याज अप्रार्थीगण संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से इस अधिकरण के बैंक खाते में जरिये चैक/ड्राफट अदा करेंगे। याचिका के प्रार्थीगण को यदि कोई अन्तरिम क्षतिपूर्ति राशि अदा की गई है तो वह मूल अवार्ड राशि में से कम की जावे। तद्नुसार अवार्ड (पंचाट) पृथक से जारी किया जावे।

( सोनिका पुरोहित )
**न्यायाधीश**
**मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण**
**( जिला न्यायालय ) चूरू (राज)**

20. निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को विवृत अधिकरण में सुनाया गया।

( सोनिका पुरोहित )
**न्यायाधीश**
**मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण**
**( जिला न्यायालय ) चूरू (राज)**